अध्याय–I: सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उगाही गई प्राप्तियों के रूझान, दोनों कर एवं करेतर तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों के पृष्ठभूमि के विरूद्ध संग्रह के लिए लम्बित राजस्व के बकाये के विहंगावलोकन को प्रदर्शित करता है।

1.2 प्राप्तियों का रुझान

1.2.1 2017–18 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, राज्य को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **सारणी–1.1** में दर्शाये गये हैं।

सारणी–1.1
राजस्व प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
1.	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	66,582.08	74,172.42	81,106.26	85,965.92	97,393.00
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**14.60**	**11.40**	**9.35**	**5.99**	**13.29**
	• करेतर राजस्व	16,449.80	19,934.80	23,134.65	28,944.07	19,794.86
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**26.82**	**21.19**	**16.05**	**25.11**	**(–)31.60**
	योग	**83,031.88**	**94,107.22**	**1,04,240.91**	**1,14,909.99**	**1,17,187.86**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	62,776.70	66,622.91	90,973.69	1,09,428.29	1,20,939.14[1]
	• सहायता अनुदान	22,405.17	32,691.47	31,861.34	32,536.87	40,648.45
	योग	**85,181.87**	**99,314.38**	**1,22,835.03**	**1,41,965.16**	**1,61,587.59**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**1,68,213.75**	**1,93,421.60**	**2,27,075.94**	**2,56,875.15**	**2,78,775.45**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**49**	**49**	**46**	**45**	**42**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

ऊपर की सारणी यह इंगित करती है कि 2013–18 के दौरान कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की वार्षिक औसतन वृद्धि क्रमशः 10.93 प्रतिशत एवं 11.51 प्रतिशत रही थी।

राज्य के अंश में 10 प्रतिशत की वृद्धि (32 से 42 प्रतिशत तक) करने की 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन (2015–16 से) के क्रम में केन्द्रीय करों में राज्य के अंश में वृद्धि हुई।

वर्ष 2017–18 में राज्य की राजस्व प्राप्तियों के अलग–अलग विवरण को प्रतिशतता के रूप में **चार्ट–1.1** में प्रदर्शित किया गया है।

---

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2017–18 के वित्त लेखों में लघु शीर्षो द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–14 देखें। इस विवरण में वित्त लेखों में 'अ–कर राजस्व' के अन्तर्गत मुख्य लेखा शीर्ष–0005–केंद्रीय माल एवं सेवा कर, 0008–एकीकृत माल एवं सेवा कर, 0020–निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028–आय तथा व्यय पर अन्य कर, 0032–धन पर कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, 0044– सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क, लघु शीर्ष–901–राज्यों के समुदेशित शुद्ध प्राप्तियों के हिस्सों के आँकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

चार्ट–1.1

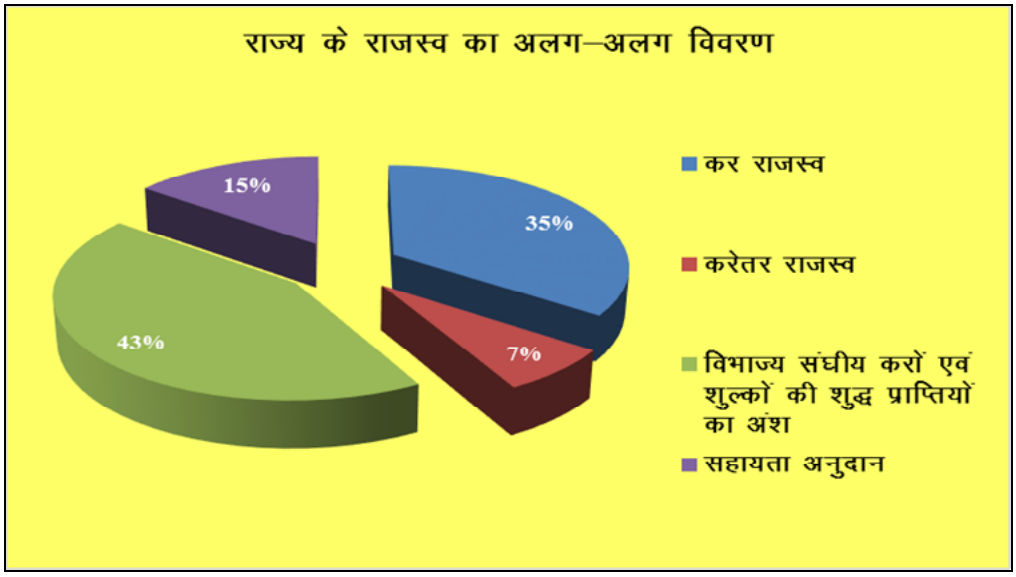

1.2.2 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान उगाहे गये कर राजस्व के विवरण **सारणी–1.2** में दिये गये हैं।

सारणी–1.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	की तुलना में वर्ष 2017–18 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2017–18 के ब0अ0	2016–17 के वास्तविक
1.	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	43,936.00 39,645.45	47,497.92 42,931.54	52,670.69 47,692.40	57,940.30 51,882.88	36,397.30 31,112.52	(–)13.10[2]	(+)8.87
	राज्य माल एवं सेवा कर (रा0.मा.से.क.)[3] (जुलाई 2017 से मार्च 2018)					28,602.70 25,373.96		
2.	राज्य आबकारी	12,084.00 11,643.84	14,500.00 13,482.57	17,500.00 14,083.54	19,250.00 14,273.49	20,593.23 17,320.27	(–)15.89	(+)21.35
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	10,555.00 9,520.92	12,722.67 11,803.34	14,836.00 12,403.72	16,319.60 11,564.02	17,458.34 13,397.57	(–)23.26	(+)15.86
4.	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	3,713.00 3,442.01	3,950.00 3,797.58	4,658.00 4,410.53	5,123.80 5,148.37	5,481.20 6,403.69	(+)16.83	(+)24.38
5.	अन्य[4]	1,905.00 2,329.86	2,327.34 2,157.39	2,250.31 2,516.07	2,622.80 3,097.16	2,969.13 3,784.99	(+)27.48	(+)22.21
योग		**72,193.00** **66,582.08**	**80,997.93** **74,172.42**	**91,915.00** **81,106.26**	**1,01,256.50** **85,965.92**	**1,11,501.90** **97,393.00**	**(–)12.65**	**(+)13.29**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विवरण के अनुसार बजट अनुमान।

वर्ष 2017–18 में कर राजस्व के अलग–अलग विवरण को **चार्ट–1.2** में प्रदर्शित किया गया है।

---

2 $\frac{36,397.30 - 28,602.70}{31,112.52 - 25,373.96} = \frac{65,000.00}{56,486.48}$

3 नई राजस्व कर शीर्ष दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी है।

4 निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैं: विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, होटल प्राप्ति कर, वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क आदि ।

चार्ट–1.2

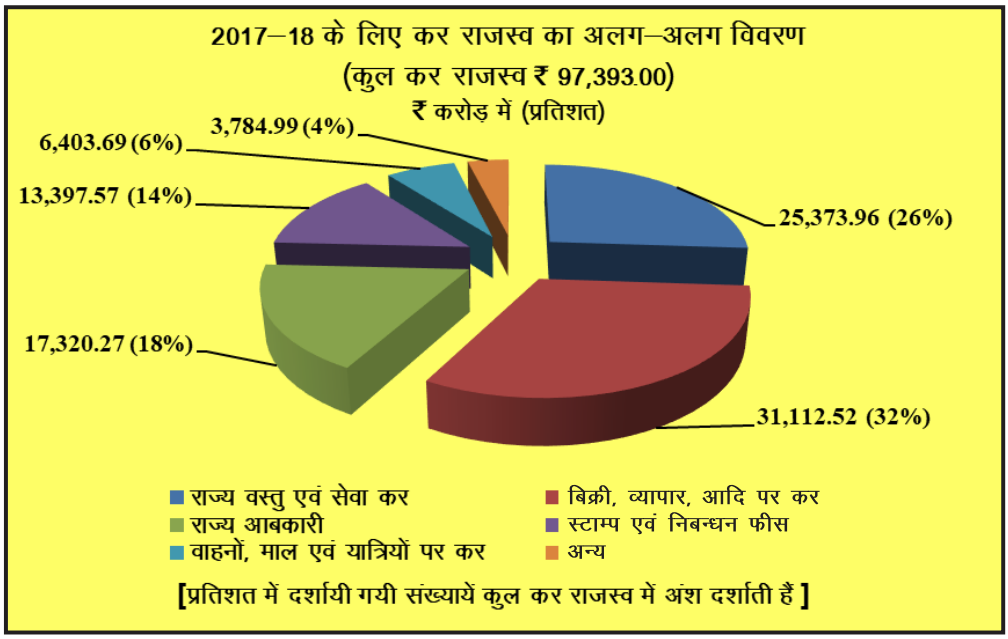

- 2017–18 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में कुल 13.29 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः 'राज्य आबकारी' (₹ 3,047 करोड़ द्वारा), 'स्टाम्प एवं निबन्धन' (₹ 1,834 करोड़ द्वारा), 'वाहनों पर कर' (₹ 1,255 करोड़ द्वारा), 'भू–राजस्व' (₹ 576 करोड़ द्वारा) तथा 'विद्युत पर कर एवं शुल्क' (₹ 568 करोड़ द्वारा) में वृद्धि के कारण हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में 2017–18 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, में ₹ 20,770 करोड़ की कमी हुई क्योंकि यह कर माल एवं सेवा कर (मा0से0क0) में समाहित किया गया जो कि 1 जुलाई 2017 से क्रियान्वित किया गया था। तथापि, वर्ष के दौरान राज्य माल एवं सेवा कर (रा0मा0से0क0) के अन्तर्गत ₹ 25,374 करोड़ का संग्रहण हुआ।
- 'राज्य आबकारी' में वृद्वि देशी शराब (₹ 892 करोड़ द्वारा), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (₹ 795 करोड़ द्वारा) एवं बीयर (₹ 279 करोड़ द्वारा) की बिक्री में वृद्वि के कारण हुई। राज्य आबकारी विभाग को वर्ष के दौरान ₹ 373 करोड़ की प्राप्ति वर्ष 2018–19 में दुकानों के लिये ई–लाटरी टेण्डर प्रक्रिया अपनाने के कारण भी प्राप्त हुई।
- 'स्टाम्प एवं निबन्धन' के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्वि मुख्यतः भूमि के सर्किल रेट के वार्षिक पुनरीक्षण, रजिस्ट्री प्रपत्रों से अधिक शुल्क की प्राप्तियों (58 प्रतिशत) तथा न्यायिक एवं न्यायिकेतर स्टैम्प्स की बिक्री (23 प्रतिशत) के कारण हुई। 'विद्युत पर कर एवं शुल्क' की प्राप्तियों में वृद्वि विद्युत की बिक्री एवं उपभोग पर अधिक कर संग्रहण (41 प्रतिशत) के कारण हुई।

1.2.3 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान उगाहे गये करेतर राजस्व के विवरण **सारिणी–1.3** में दर्शाये गये हैं।

सारणी–1.3
करेतर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	की तुलना में वर्ष 2017–18 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2017–18 के ब0अ0	2016–17 के वास्तविक
1	विविध सामान्य सेवायें	2,970.98 3,194.28	4,037.81 6,400.41	4,774.00 4,949.22	4,220.61 4,460.40	4,502.00 4,841.11	(+)7.53	(+)8.54
2	शिक्षा, खेल–कूद, कला तथा संस्कृति	5,852.75 6,414.09	6,887.18 5,798.52	7,600.00 10,652.08	11,170.31 14,092.31	520.00 432.05	(–)16.91	(–)96.93
3	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	1,000.00 912.52	1,100.00 1,029.42	1,500.00 1,222.17	1,650.00 1,548.39	3,200.00 3,258.88	(+)1.84	(+)110.47
4	बिजली	270.00 1,060.81	2,700.00 967.87	2,700.00 1,322.17	2,700.00 2,938.85	4,448.34 4,695.85	(+)5.80	(+)59.79
5	अन्य करेतर प्राप्तियाँ[5]	3,088.75 4,868.10	5,506.96 5,738.58	5,062.32 4,989.01	4,499.93 5,904.12	5,766.37 6,566.97	(+)13.69	(+)11.23
	योग	**13,182.48** **16,449.80**	**20,231.95** **19,934.80**	**21,636.32** **23,134.65**	**24,240.85** **28,944.07**	**18,436.71** **19,794.86**	**(+)7.37**	**(–)31.61**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विस्तृत विवरण के अनुसार बजट अनुमान।

वर्ष 2017–18 में करेतर राजस्व का अलग–अलग विवरण **चार्ट–1.3** में दर्शाया गया हैं।

चार्ट–1.3

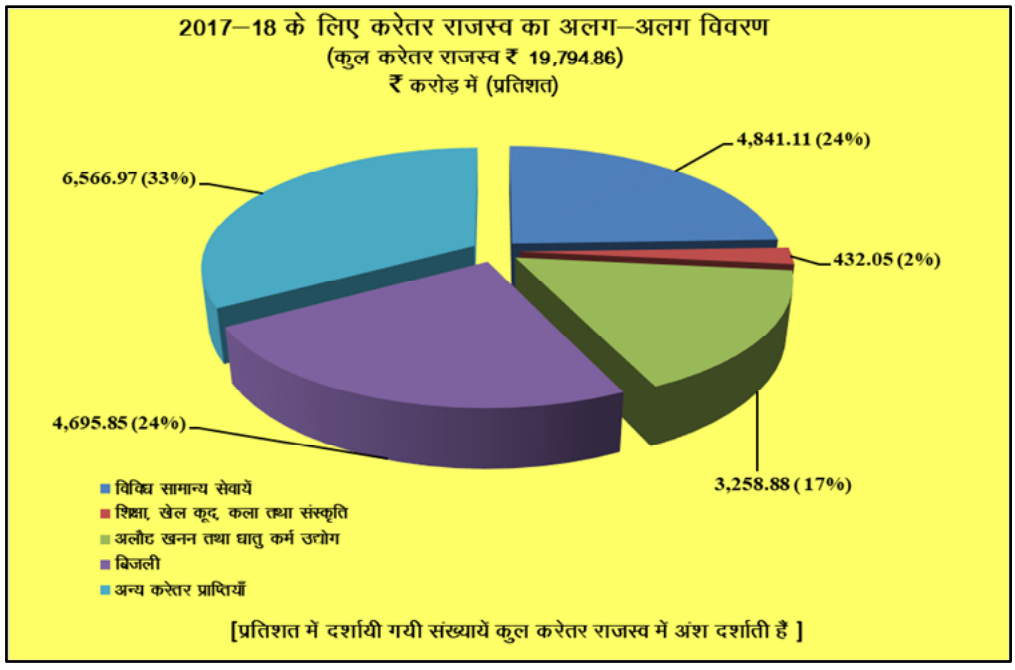

2016–17 के सापेक्ष 2017–18 के दौरान ₹ 9,149 करोड़ की करेतर प्राप्तियों में कुल मिलाकर 31.61 प्रतिशत की कमी थी। जो मुख्यतः 'शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों के कम होने के कारण थी, जिसका वास्तविक कारण यह था कि वर्ष 2017–18 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को वेतन के लिये

[5] अन्य में निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (करेतर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैः ब्याज प्राप्तियाँ, सड़क एवं सेतु, अन्य प्रशासनिक सेवायें, मध्यम सिंचाई, ग्राम्य एवं लघु उद्योग, वानिकी एवं वन्य प्राणि, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, शहरी विकास, आदि।

की जाने वाली प्रतिपूर्ति को प्राथमिक शिक्षा विभाग में व्यय की कमी के रूप में लेखांकित किया गया जबकि पूर्व में यह राज्य के करेतर प्राप्तियों में दर्शाया जाता था। अग्रेतर, अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग के अन्तर्गत खनिज रियायती शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी (186 प्रतिशत) में अधिक प्राप्तियाँ मुख्यतः विभिन्न खनिजों के रॉयल्टी/अपरिहार्य भाटक की दर में पुनरीक्षण होने के कारण थी।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने वित्त विभाग द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता पायी (सन्दर्भ सारणी–1.2 एवं 1.3)। उस समय अनुरोध के बावजूद वित्त विभाग के द्वारा लेखापरीक्षा को बजट पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं करायी गयी जिस कारण इस व्यापक भिन्नता के कारणों का आंकलन नहीं हो सका। प्रकरण को यथोचित रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च 2017 को समाप्त हुये वर्ष के लिये (अध्याय–3 सामान्य प्रस्तर संख्या 3.2.3) में सूचित किया गया।

संस्तुतिः

वित्त विभाग को अपने बजट अनुमानों को और अधिक यथार्थवादी बनाने हेतु अपनी बजट तैयार करने की विधियों का पुनरीक्षण करना चाहिये।

1.3 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2018 को कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों का राजस्व बकाया ₹ 22,564.66[6] करोड़ था, जिसमें से ₹ 10,581.96[7] करोड़ का बकाया पाँच वर्षों से अधिक का था। विभागों द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण **चार्ट–1.4** में प्रदर्शित है।

चार्ट–1.4

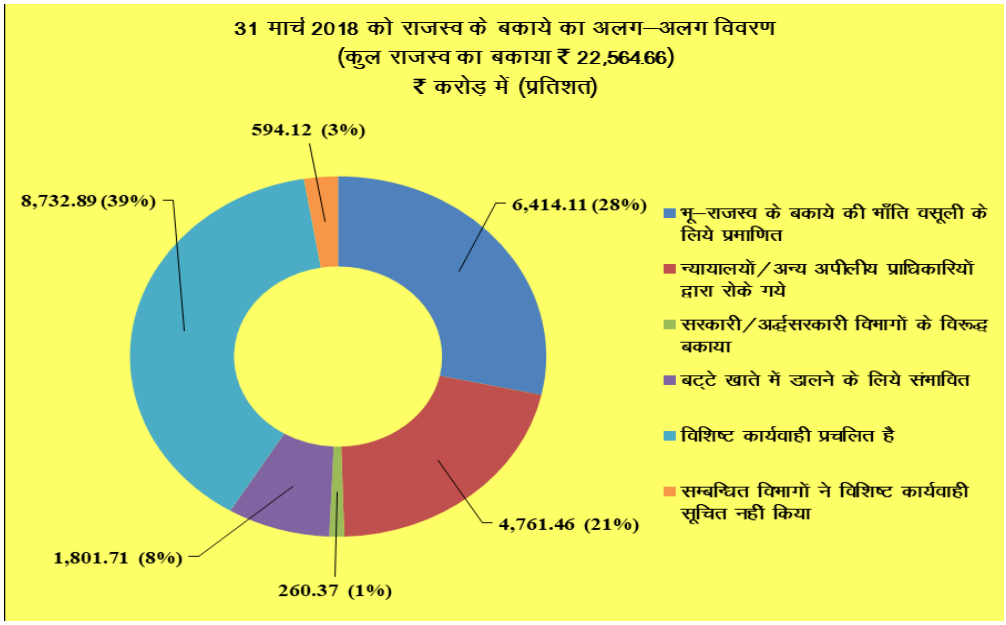

वर्ष 2017–18 की समाप्ति पर कुल राजस्व बकाया ₹ 22,564.66 करोड़, राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 1,17,186.86 करोड़) का 19 प्रतिशत था जिसमें 47 प्रतिशत (₹ 10,581.96 करोड़) पिछले पाँच या अधिक वर्षों से वसूली हेतु बकाया था। यह राज्य

---

6 बिक्री, व्यापार, आदि पर करः ₹ 21,548.61 करोड़; स्टाम्प एवं निबन्धन फीसः ₹ 398.47 करोड़; वाहनों, माल एवं यात्रियों पर करः ₹ 109.78 करोड़; राज्य आबकारीः ₹ 52.37 करोड़; मनोरंजन करः ₹ 348.74 करोड़; अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगः ₹ 106.69 करोड़।

7 बिक्री, व्यापार, आदि पर करः ₹ 10,257.17 करोड़; स्टाम्प एवं निबन्धन फीसः ₹ 140.71 करोड; वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर : ₹ 53.83 करोड; राज्य आबकारीः ₹ 52.08 करोड़; मनोरंजन कर : ₹ 13.14 करोड; अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगः ₹ 65.03 करोड़ ।

में शिथिल राजस्व प्रशासन एवं अनुपालनहीनता का सूचक है। बकाये की मात्रा अनावश्यक रूप से अधिक है जिसकी वसूली हेतु ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

विभागों ने लम्बित वसूली को विभिन्न चरणों में होना सूचित किया, परन्तु लम्बित बकाया से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराये। विभागों[8] में बकाया संग्रह की प्रगति की निगरानी या बकाया संचय के कारणों के आकलन हेतु कोई तंत्र मौजूद नहीं था। अग्रेतर, विभागों ने अदत्त बकाये का कोई केन्द्रीकृत डाटाबेस नहीं बनाया है। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर सम्बन्धित विभागों द्वारा अदत्त बकाये के आंकड़ों को प्रतिवर्ष क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित किया गया था।

संस्तुतिः

विभागों को लम्बित बकाये हेतु एक केन्द्रीकृत डाटाबेस बनाना चाहिए एवं बकाये की प्रगति की आवधिक रूप से निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित करना चाहिए। बकाये के संचय के कारणों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए एवं बकाये के संचय के अग्रेतर रोकथाम के लिये तंत्र/प्रक्रिया विकसित किया जाना चाहिए।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन–सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले0प0प्र0) में चर्चित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, चाहे ऐसे मामले लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हों या न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017 को समाप्त हुए वर्ष के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 164 प्रस्तरों (निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित) जिन्हें जून 2014 और जुलाई 2019 के मध्य राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा गया पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विभागों के उत्तर) को देने में अत्याधिक विलम्ब देखा गया जो कि नौ माह से 52 माह के मध्य था। विभिन्न विभागों[9] से सम्बन्धित लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण **सारिणी–1.4** में दिया गया है।

सारिणी–1.4

क्र0 सं0	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समाप्ति वर्ष	विधान मण्डल में प्रस्तुत होने की तिथि	प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2013	20 जून 2014	49	49	00
2	31 मार्च 2014	17 अगस्त 2015	43	36	07
3	31 मार्च 2015	06 मार्च 2016	31	00	31
4	31 मार्च 2016	18 मई 2017	26	00	26
5	31 मार्च 2017	19 जुलाई 2019	15	00	15
योग			**164**	**85**	**79**

वर्ष 2017–18 में लम्बित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा करने हेतु कोई भी लो0ले0स0 की बैठक नहीं की गई। समय–समय पर लो0ले0स0 में चर्चा किये गये सम्बन्धित प्रस्तरों पर कोई कार्यवाही आख्या (का0आ0) भी प्राप्त नहीं हुई।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों एवं कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, लेखापरीक्षा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को उनके उच्च अधिकारियों को एक प्रति के साथ सुधारात्मक कार्यवाही

[8] वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।

[9] वाणिज्य कर (17 प्रस्तर), राज्य आबकारी (11 प्रस्तर), परिवहन (17 प्रस्तर), स्टाम्प एवं निबन्धन (15 प्रस्तर), भूतत्व एवं खनिकर्म (14 प्रस्तर) तथा मनोरंजन कर (5 प्रस्तर)।

एवं उनकी निगरानी करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन (नि0प्र0), निर्गत करता है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार के संज्ञान में लायी जाती हैं।

मार्च 2018 तक जारी नि0प्र0 की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि जून 2018 के अन्त तक 12,582 नि0प्र0 से सम्बन्धित 44,357 प्रस्तर लम्बित थे। इन नि0प्र0 में प्रकाश में लाया गया प्रभावी वसूली योग्य राजस्व ₹ 8,075.46 करोड़ है, जबकि राज्य का कुल राजस्व संग्रह ₹ 1,17,187.86 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित विभागवार विवरण **सारिणी–1.5** में दिया गया है।

सारणी–1.5
निरीक्षण प्रतिवेदन का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित नि0प्र0 की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	सन्निहित धनराशि
1	वित्त	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	5,779	25,474	3,925.45
		मनोरंजन कर	203	497	22.51
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी	1,072	1,972	1,086.60
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,356	5,986	862.46
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	3,954	9,395	745.88
5	भूतत्व एवं खनिकर्म	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	218	1,033	1,432.56
योग			**12,582**	**44,357**	**8,075.46**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

यहाँ तक कि नि0प्र0 प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त होने वाले अपेक्षित प्रथम उत्तर समय से प्राप्त नहीं हुए। 2017–18 के दौरान जारी किये गये 597 नि0प्र0 में से, लेखापरीक्षा को कार्यालयाध्यक्षों से सात नि0प्र0 के मामले में प्रथम उत्तर छः माह के अन्दर तथा 45 नि0प्र0 के मामले में छः माह के बाद प्राप्त किया। वर्ष 2017–18 के दौरान निर्गत शेष 545 नि0प्र0 के मामले में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। नि0प्र0 का इतनी बड़ी संख्या में लम्बित होना एवं विभागों से प्रथम उत्तर प्राप्त न होना इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निरीक्षित इकाईयों के प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष का संज्ञान लेने एवं इस सन्दर्भ में कोई सुधारात्मक कदम उठाने में असफल रहे हैं। कार्यालयाध्यक्षों का लेखापरीक्षा में रूचि का अभाव इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि बुनियादी स्तर पर सम्बन्धित विभागों द्वारा बिना सुधार/किसी सुधारात्मक कदम के साक्ष्य के दृश्यता के समान प्रकृति की अनियमिततायें वर्ष प्रति वर्ष प्रतिवेदित हो रही हैं। इसने लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र आरम्भ करना चाहिए कि विभागीय अधिकारी नि0प्र0 पर त्वरित प्रतिक्रिया दें, सुधारात्मक कार्यवाही करें एवं नि0प्र0 के शीघ्र निस्तारण के लिये लेखापरीक्षा के साथ मिलकर काम करें।

1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के छः विभागों[10] को समाविष्ट किया तथा बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्रियों पर

[10] वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।

कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, मनोरंजन कर एवं खनन प्राप्तियों से सम्बन्धित 1,585 लेखापरीक्षण योग्य इकाईयों में से 663 इकाईयों (42 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। अग्रेतर, यह एक नमूना लेखापरीक्षा थी। 2016–17 के दौरान छः विभागों में ₹ 85,142.94 करोड़ राजस्व संग्रहीत किया गया, जिसमें से 663 लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 46,918.44 करोड़ (55 प्रतिशत) राजस्व संग्रहीत किया। 663 लेखापरीक्षित इकाईयों में टर्नओवर/कर भुगतान के आधार पर अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी जिससे 41,277 मामलों में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि से सम्बन्धित ₹ 745.95 करोड़ (दो प्रतिशत) के मामले पाये गये। सम्बन्धित विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये वर्ष 2017–18 में 17,086 मामलों में ₹ 161.81 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकारा (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य)। वर्ष के दौरान विभाग ने (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) ₹ 45.03 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित की जिसमें से वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित 185 मामलों में ₹ 4.9 करोड़ तथा शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित हैं।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को एक तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एवं विभागों द्वारा स्वीकृत सभी अवनिर्धारण/कम आरोपण की वसूली विभागों द्वारा की जाए।

1.7 प्रतिवेदन के इस भाग का आच्छादन

प्रतिवेदन के इस भाग में वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा एवं विगत वर्षों के ऐसे प्रस्तर जो पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नही किये जा सके, के 17 प्रस्तर शामिल हैं, जिनमें ₹ 195.88 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है जिसमें एक प्रस्तर **"माल एवं सेवा कर में संक्रमण की तैयारी"** को सम्मिलित किया गया है।

विभागों ने ₹ 140.34 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है तथा ₹ 2.09 करोड़ की वसूली की है। इसकी चर्चा अनुवर्ती अध्यायों–II से V में की गयी है।

अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो राज्य सरकार के विभागों की अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किये गये हैं। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर सकते हैं कि वे आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार कार्य कर रही हैं।